न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

01

लडुराम दास बनाम् बाबुलाल यादव वगै0

विविध वाद संख्या –35/2024

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र0सं0 और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. लडुराम दास उर्फ लडुरविदास, पिता – स्व0 हेमा रविदास, ग्राम– केशवारी थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. बाबुलाल यादव, पिता – स्व0 लाटो महतो,
2. शम्भु यादव, पिता – स्व0 लाटो महतो,
3. द्वारिका यादव, पिता – स्व0 लाटो महतो,
4. मुरली यादव, पिता – स्व0 लाटो महतो,
5. जगदीश महतो, पिता – स्व0 चोलो महतो,
6. अर्जुन उर्फ अणु महतो, पिता – स्व0 चोलो महतो,
7. रोहित यादव, पिता – स्व0 – गांगो महतो,
8. प्रकाश यादव, पिता – अर्जुन उर्फ अणु महतो,
9. उमेश यादव, पिता – अर्जुन उर्फ अणु महतो,

सभी साकिन – केशवारी, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता नं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहदी
केशवारी	141/42	2732/1	1.20 ए0	उ0– परती कदीम, द0– लाटो महतो वगै0, पु0– रास्ता, प0– पुनित राणा वगै0।
	207/38	4231/1	0.50 ए0	उ0– रास्ता, द0– चेतलाल महतो वगै0, पु0– वनरक्षि क्वाटर, प0– रास्ता।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

16.05.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

प्रथम पक्ष

02

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 01.02.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. जिला कार्यालय, गिरिडीह के बन्दोबस्ती सं0 – 5, वर्ष – 1989–90 के परवाना की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. लडुराम दास के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. लडु रविदास लिलुवा रविदास के आधार की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**

प्रथम पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 03 – यह कि उक्त जमीन सरकार के द्वारा हवलदार पद से सेवा निवृत होने के बाद उपहार स्वरूप मिला है।

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि प्रथम पक्ष को बजरीये बन्दोबस्ती परवाना केस नं0 – 5/1989–90 सरकार से लडुराम दास, पिता – स्व0 हेमा रविदास को हासिल है, जो मौजा – केशवारी, थाना – सरिया, थाना नं0 – 30 के अंदर खाता नं0 – 141/42, प्लॉट नं0 – 2732/1, रकबा – 1.20 ए0 चौहदी उ0 – परती कदीम, द0 – लाटो महतो वगैरह, पु0 – रास्ता, प0 – पुनीत राणा वगैरह , खाता नं0 – 207/38, प्लॉट सं0 – 4239/1, रकबा – 0.50 ए0 चौहदी उ0 – रास्ता, द0 – चेतलाल महतो वगै0, पु0 – वनरक्षि क्वाटर, प0 – रास्ता।

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 04.05.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. अमीन फर्द रिर्पोट की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. खालसा रसीद की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**
5. पंचनामा की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-5**

द्वितीय पक्ष के लिखित कारण–पृच्छा में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 3 (1) – वादग्रस्त भूमि मौजा – केशवारी के अंदर थाना – सरिया, थाना नं0 – 30, अंचल – सरिया, खाता नं0 – 141, प्लॉट नं0– 2732/5563, रकबा – 1.15 ए0 चौहदी उ0 – परती कदीम, द0 – परती कदीम, पू0 – परती कदीम, प0 – परती कदीम दर्ज है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 3 (2) – वादग्रस्त भूमि द्वितीय पक्ष के पूर्वज सुकर गोप को विक्रमी संवत 2001 वर्ष 1944 ई0 को हासिल है, जिसपर अपना दखल –

16.05.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

कब्जा सुकर गोप का हुआ तथा जमीनदारी प्रथा उन्मुलन के बाद अंचल कार्यालय बगोदर हाल अंचल कार्यालय सरिया के मांग पंजी II पेज नं० – 7 से लगान रसीद निर्गत है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं० 3 (3) – वादग्रस्त भूमि पर वर्त्तमान में सुकर गोप के जीवित वंश द्वितीय पक्ष के सदस्यगणों का दखल–कब्जा बरकरार है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं० 3 (4) – वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग पर सरकारी विद्यालय का भी निर्माण किया गया जिसमें दिनांक – 01/07/2008 को पंचायत के माध्यम से द्वितीय पक्ष के द्वारा रकबा – 08 डी० जमीन भी दिया गया था जिस पर विद्यालय भवन कायम है।

थाना सरिया का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, सरिया का DR No. – 475/24, दिनांक – 10.03.2024 कुल – 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहद्दी
केशवारी	141/42	2732/1	1.20 ए०	उ०– परती कदीम, द०– लाटो महतो वगै0, पु०– रास्ता, प०– पुनित राणा वगै0।
	207/38	4231/1	0.50 ए०	उ०– रास्ता, द०– चेतलाल महतो वगै0, पु०– वनरक्षि क्वाटर, प०– रास्ता।

2. उक्त भूमि गैरमजरूवा खास सरकारी भूमि है।

3. प्रथम पक्ष के द्वारा सरकारी बन्दोबस्ती परवाना केस नं० – 5/1989–90 के आधार उक्त जमीन प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है तथा रजिस्टर II भोलुम नं० –14 , पेज नं० –88 पर दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत होने का दावा किया जा रहा है।

4. द्वितीय पक्ष के द्वारा जमीन्दारी बन्दोबस्ती के आधार उक्त जमीन प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है तथा रजिस्टर II भोलुम नं० – 06, पेज नं० – 7 पर दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत होने का दावा किया जा रहा है।

5. इस वाद में अंचल अधिकारी से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

6. अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के बिना इस वाद में निर्णय लेना उचित प्रतित नहीं होता है।

अतः उभय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन देकर, अपने – अपने राजस्व दस्तावेज को प्रस्तुत करके इस समस्या का समाधान करायेंगे।

16.04.24
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

(05)

अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस केस से संबंधित आवेदन प्राप्त होने पर, कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों की गहराई से जाँच करके तथा स्थल का जाँच करके नियमानुसार निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे।

यदि जाँच में दोनो पक्ष का दावा अवैध पाया जाता है तो चूँकि उक्त विवादित भूमि सरकारी गैरमजरूवा खास भूमि है, अतः उसे सरकारी कब्जा में लेना सुनिश्चित करेंगे तथा नियमानुसार अग्रेतर कारवाई करेंगे।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

16.05.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)
बगोदर–सरिया।

16.05.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 10:57:48 +05:30
Location: 192.168.1.3

Scanned with CamScanner